(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटपूतली जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी जगदीश आर्य (आर.ए.एस)

अपील संख्या – 07/2022

1. बिडदाराम पुत्र बीरबल
2. मुखराम पुत्र बीरबल
3. हरदान पुत्र बनवारी
4. गोकुल पुत्र बनवारी
5. सरती पत्नि बनवारी

समस्त जातियान गुर्जर निवासी ढाणी बीरबल की तन श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

–अपीलान्टगण

बनाम

1. सरबती पत्नि हजारी
2. रामोतार पुत्र हजारी
3. रोहताश पुत्र हजारी
4. खेताराम पुत्र हजारी
5. मूर्ति पुत्री हजारी
6. बनारसी पुत्री हजारी
7. श्रवण पत्नि हरिराम
8. सुभाष पुत्र हरिराम
9. सुबेसिंह पुत्र हरिराम
10. राजपाल पुत्र हरिराम
11. कौशल्या पत्नि सुणाराम
12. लेखराज पुत्र सुणाराम
13. सतीश पुत्र सुणाराम
14. उर्मिला पुत्री सुणाराम

समस्त जातियान गुर्जर निवासी ढाणी बीरबल की तन श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान

–रेस्पोडेन्टगण

अति. जिला कलेक्टर
(जयपुर)

16. मनोहरी देवी पुत्री बनवारी धर्मपत्नि श्री रामस्वरूप जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्यामनगर तहसील कोटपूतली हाल आबाद ढाणी बाढ की तन नवलपुरा तहसील बानसुर जिला जयपुर राजस्थान।

17. लाली देवी पुत्री बनवारी धर्मपत्नि श्री गिरधारी

18. बिमला देवी पुत्री बनवारी धर्मपत्नि श्री रामनिवास

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम श्यामनगर तहसील कोटपूतली हाल आबाद टमोरीबास तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान।

–तरतीबी रैस्पोडेन्टगण

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर. एक्ट विरूद्ध नामांतकरण संख्या 371 ग्राम श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान निर्णय दिनांक 03.05.2018 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली

निर्णय

दिनांक : 24.2.22

अपीलान्टगण ने जरिये वकील एक अपील विरूद्ध नामान्तकरण इस आशय की पेश की कि आराजी हाल खसरा नम्बर 594/0.92 वाके मौजा श्यामनगर तहसील कोटपूतली के खातेदार काश्तकार के मुताबिक हिस्सा जमाबंदी हजारी पुत्र लादू आराजी हाल खसरा नम्बर 594/0.92 के हिस्सा 1/6 के खातेदार थे तथा हजारी पुत्र लादू ने आराजी हाल खसरा नम्बर 594/0.92 वाके मौजा श्यामनगर में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा बनवारी पुत्र बीरबल को दिनांक 21.06.2012 के हक में हकत्याग कर दिया था तथा तभी से ही अपीलांट संख्या 1 व 2 व बनवारी पुत्र बीरबल व उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट संख्या 3 लगायत 5 व तरतीबी रैस्पोडेन्ट 16 लगायत 18 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है परन्तु हजारी पुत्र लादू द्वारा अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा बनवारी पुत्र बीरबल के हक में दिनांक 21.06.2012 को उपरोक्त आरजी हहाल खसरा नम्बर 594/0.92 वाके मौजा श्यामनगर तहसील कोटपूतली में अपने हिस्से का हकत्याग किये जाने के उपरांत उपरोक्त आराजी के हाल राजस्व रिकार्ड में मुताबिक हकत्याग पत्र अंकन किये जाने से पूर्व ही दिनांक 2.07.2012 को दीना, रतिराम पुत्रान ग्यासरा व सरतो धन्नो पुत्रियान ग्यारसा मुस्म्मात, नानची पत्नि ग्यारसा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्या आराजी के साथ साथ आराजी हाल खसरा नम्बर 594/0.92 वाके मौजा श्यामनगर तहसील कोटपूतली बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तथा उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र में दिनांक 9.07.2012 को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जो आदेश आज दिन तक यथावत है एवं अपीलांटगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष मुताबिक हकत्याग पत्र राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु उपरोक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण आज दिन तक नहीं हुआ एवं इस दौरान दिनांक 13.11.2018 को हजारी पुत्र लादू की मृत्यु हो गई एवं बावजूद स्थगन हजारी पुत्र लादू के वारिसान रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 के द्वारा आराजी हाल खसरा नम्बर 594/0.92 वाके मौजा श्यामनगर के राजस्व रिकार्ड मे हजारी पुत्र लादू के स्थान पर स्वंय के नाम पर विरासत इंतकाल संख्या 371 के जरिये स्वंय का नाम दर्ज करा लिया जबकि हजारी पुत्र लादू द्वारा अपने जीवनकाल में ही आराजी हाल खसरा नम्बर 594/0.92 का हकत्याग पत्र अपीलांट संख्या 1 व 2 व बनवारी पुत्र बीरबल के हक में दिनांक 21.06.2012 को सबरजिस्ट्रार कोटपूतली के समक्ष प्रस्तुत होकर कर दिया था इस प्रकार हजारी पुत्र लादू का उपरोक्त आराजी में स्वतः ही समस्त खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये थे महज न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा पारित स्थगन के कारण उक्त हकत्याग पत्र का नामांतकरण अपीलांटगण व बनवारी पुत्र बीरबल के हक में नहीं हुआ जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए रैस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 14 के द्वारा उपरोक्त विरासत इंतकाल विधि विरूद्ध जाकर स्वंय के हक में करा लिया जिसकी जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 16.01.2022 को उपरोक्त आराजी की जमाबंदी की नकल ईमित्र से लिये जाने पर हुई जिसपर अपीलांटगण ने बिना देरी किये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली द्वारा पारित नामांतकरण संख्या 371 ग्राम श्यामनगर की नकल पटवारी हल्का से दिनांक 17.01.2022 को प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील मय दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार

कोटपूतली द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 371 ग्राम श्यामनगर दिनांक 03.05.2018 विधि विरूद्व व न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है। रेस्पौडैन्ट संख्या 1 लगायत 14 के बुजुर्गान हजारी पुत्र लादू द्वारा अपने जीवनकाल में ही आराजी हाल खसरा नम्बर 594/0.92 वाके मौजा श्यामनगर में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा बनवारी पुत्र बीरबल को दिनांक 21.06.2012 के हक मे हकत्याग कर दिया था तथा तभी से ही अपीलांट संख्या 1 व 2 व बनवारी पुत्र बीरबल व उनकी मृत्यु उपरात अपीलाट संख्या 3 लगायत 5 व तरतीबी रैस्पोडेन्ट 16 लगायत 18 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है इस प्रकार उपरोक्त आराजी से हजारी पुत्र लादू व रेस्पौडैन्ट संख्या 1 लगायत 14 का किसी प्रकार का कोई ताल्लुक वास्ता नही था अपितु उपरोक्त भूमि में मुताबिक हक त्याग पत्र अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होना चाहिये था परन्तु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी दीना बनाम सुण्डा मुकदमा नम्बर 96/2012 में पारित स्थगन आदेश के कारण नामान्तकरण दर्ज नही हो सका एवं रेस्पौडैन्ट संख्या 1 लगायत 14 ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यो को छुपाते हुये उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 371 के जरिये हजारी पुत्र लादू द्वारा हक त्याग पत्र की गयी भूमि में स्वयं का नाम विरासत इंतकाल दर्ज करवाया जो विधि विरूद्व होने के कारण खारीज किये जाने योग्य है। अपीलान्टगण को उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 371 दिनांक 03.05.2018 की जानकारी होना किसी भी सूरत में संभव नही थी क्योकि उक्त नामान्तकरण अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण की अनुपस्थिति में व बिना उन्हे सुचित किये दर्ज किया गया है एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण बअनुवानी दीना बनाम सूण्डा में स्थगन आदेश होने के कारण अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पौडैन्ट इस मुगालते में रहे कि स्थगन आदेश में राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की तब्दीली होना संभव नही है तथा स्वयं अपीलान्टगण द्वारा न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली के समक्ष स्वयं के हक त्याग पत्र के आधार पर स्वयं का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था तथा जिसका निस्तारण आज दिन तक उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली द्वारा नही किया गया ऐसी सूरत में अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण को उक्त नामान्तकरण की जानकारी होना किसी भी सूरत में संभव नही थी अपितु दिनांक 16.01.2022 को अपीलान्टगण द्वारा ई–मित्र से जमाबन्दी की नकल लेने पर अपीलान्टगण को उपरोक्त नामान्तकरण की जानकारी हुयी जिस पर अपीलान्टगण ने बिना देरी किये पटवारी हल्का से नकल प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील मय दफॉ 5 जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की है। हजारी पुत्र लादू ने अपने जीवनकाल में ही आराजी हाल खसरा नम्बर 594/0.92 वाके मौजा श्यामनगर में अपना सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा बनवारी पुत्र बीरबल को दिनांक 21.06.2012 के हक में हकत्याग कर दिया था तथा तभी से ही अपीलांट संख्या 1 व 2 व बनवारी पुत्र बीरबल व उनकी मृत्यु उपरांत अपीलांट संख्या 3 लगायत 5 व तरतीबी रैस्पोडेन्ट 16 लगायत 18 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है परन्तु रेस्पौडैन्ट संख्या 1 लगायत 14 द्वारा उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद हजारी पुत्र लादू द्वारा हक त्याग की गयी भूमि में विरासत इंतकाल दर्ज करवाया जबकि अपीलान्टगण द्वारा जरिये व हक त्याग पत्र किये जाने से ही उक्त भूमि में अपीलान्टगण के हित निहित है एवं उक्त नामान्तकरण रेस्पौडैन्ट संख्या 1 लगायत 14 के हक में खोले जाने से अपीलान्टगण के हित प्रभावित होगे इसलिये उपरोक्त नामान्तकरण के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति हेतु अलग से धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 371 ग्राम श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान निर्णय दिनांक 03.05.2018 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को खारीज कर मुताबिक हक त्याग पत्र दिनांक 21.06.2012 के आधार पर अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तल्ब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से श्री मुकेश गुर्जर एडवोकेट उपस्थित आकर अन्डरटेकिंग

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

(4)

दी। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजुद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 12 के अधिवक्ता को वकालतनामा पेश करने के अवसर दिये जाने के उपरान्त भी वकालतनामा पेश नही करने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

हमने बहस सुनी। अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 371 ग्राम श्यामनगर तहसील कोटपूतली जिला जयपुर राजस्थान निर्णय दिनांक 03.05.2018 तस्दीक द्वारा तहसीलदार कोटपूतली को खारीज कर मुताबिक हक त्याग पत्र दिनांक 21.06.2012 के आधार पर अपीलान्टगण व तरतीबी रेस्पौडैन्टगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपनी बहस के समर्थन में हकत्याग दिनांक 21.06.2012 पेश किया है। जिनका नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये बिना ही विक्रेतागण के वारिसान का नाम अंकित कर दिया। जबकि विक्रेता के स्थान पर क्रेतागण यानि अपीलान्ट का नाम दर्ज होना चाहिये था परन्तु विक्रेतागण के वारिसान ने बिना अपीलान्ट की जानकारी के अपना नाम दर्ज करवा लिया। ऐसी स्थिति में उक्त नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिये जाते है कि हकत्याग पत्र दिनांक 21.06.2012 के आधार पर रेस्पोडेन्ट के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम दर्ज किये जावे। इस हेतु तहसीलदार कोटपूतली को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.2.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)